



# अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार



रजि.न.34300/80

संख्या 300

पोर्ट ब्लेयर,

सोमवार, 07 नवम्बर 2022

web: www.and.nic.in

2.00 रूपए

## अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल—“सीखो और कमाओ”

### चुनिंदा विशेषज्ञ परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन

पोर्ट ब्लेयर, 9 फरवरी।

भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना—सीखो और कमाओ को लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल को उनकी शैक्षिक योग्यता, वर्तमान आर्थिक रुझानों और बाजार की क्षमता के आधार पर विभिन्न आधुनिक एवं पारंपरिक व्यवसायों में अपग्रेड करना है, जिससे वे एक उपयुक्त रोजगार प्राप्त कर सकें या स्वरोजगार के लिए जाने के लिए उपयुक्त रूप से कुशल बन सकें। यह योजना चयनित विशेषज्ञ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। यह न्यूनतम 75 प्रतिशत प्रशिक्षुओं का प्लेसमेंट सुनिश्चित करता है, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में है।

योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षु अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए और उसकी उम्र 14-35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, प्रशिक्षु की न्यूनतम योग्यता कम से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इस योजना के तहत आरक्षित



Seekho aur Kamao - 2.0 सीखो और कमाओ - 2.0 Learn Earn A Skill Development Initiative for Minorities



श्रेणियों के लिए निर्धारित सीट के लिए यदि सीट खाली रहेगी, तो इन खाली सीटों को अनारक्षित माना जा सकता है।

स्थानीय गैर-आवासीय प्रशिक्षुओं के लिए मासिक वजीफा 2,000 रुपये प्रति माह और आवासीय प्रशिक्षुओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह होगा। सभी पदस्थापित उम्मीदवारों को दो महीने के लिए 2,000 रुपये प्रति माह पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट (पीपीएस) दिया जाएगा।

प्राप्त विज्ञप्ति में इच्छुक संस्थानों व संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे दिशा-निर्देशों तथा योजना के बारे में और जानकारी एवं विभिन्न घटकों के लिये भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट अथवा URL <http://seekhaurkamao-moma.gov.in> को देखें।

## आईसीएआर-सीआईएआरआई ने द्वीपों में प्रौद्योगिकी 'द्वीप वर्टिग्रो' के लाइसेंस के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

पोर्ट ब्लेयर, 6 नवंबर।

यहां के आईसीएआर-केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने द्वीपों में प्रौद्योगिकी 'द्वीप वर्टिग्रो' के लाइसेंस के लिए हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईसीएआर-सीआईएआरआई के निदेशक डॉ. ई.बी. चाकुरकर ने दक्षिण अंडमान के मेसर्स जयशंकर इंडस्ट्रीज को

प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की। 'द्वीप वर्टिग्रो 5 मी. 2 के स्थानिक कवरेज के साथ रसोई और छत के बगीचे में पत्तेदार सब्जियां उगाने के लिए एक ऊर्ध्वाधर खेती मॉडल है, जिसमें 100 बर्तन और एक ट्रे (2 मी. 2) हो सकती है। इसमें मिट्टी रहित खेती, वर्षा संरक्षण और वर्षा जल संयंत्र का प्रावधान है। यह प्रणाली पानी, पोषक तत्वों और स्थान के कुशल

उपयोग के साथ सुंदर ऑर्किड और सजावटी पौधों के अलावा उच्च मूल्य वाली पत्तेदार सब्जियां और अन्य जड़ी-बूटियों की साल भर खेती के लिए उपयुक्त है। मॉडल को आईसीएआर-सीआईएआरआई के वैज्ञानिकों डॉ. टी. सुब्रमणि, डॉ. वी. भास्करन, डॉ. ए. वेलमुरुगन और डॉ. टी.पी. स्वर्णम की टीम द्वारा विकसित किया गया है।

## 'जेएनआरएम' में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला

पोर्ट ब्लेयर, 6 नवंबर।

यहां के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) इन द्वीपों का एक प्रमुख संस्थान है, जो एमए अंग्रेजी, एमए हिंदी, एमए बांग्ला, एमए राजनीति विज्ञान, एमएएससी भूगोल, एम.एससी. वनस्पति विज्ञान, एम.एससी. रसायन विज्ञान, एम.एससी. कंप्यूटर साइंस और एम.कॉम. जैसे 9 विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करता है। पात्रता मानदंड के संबंध में विवरणिका और अन्य जानकारी कॉमन कॉलेज

अडमिशन पोर्टल (सीसीएपी) <https://collegeadmission.andaman.gov.in> या कॉलेज पोर्टल <https://jnrm.and.nic.in> से देखी जा डाउनलोड की जा सकती है।

इन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और पोर्ट ब्लेयर में जेएनआरएम के संबंधित अंत:विषय विभागों में प्रमाणपत्र और दस्तावेजों की प्रतियों के साथ भरे हुए आवेदन

पत्र जमा कर सकते हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत 9 नवंबर, 2022 तक भरे हुए आवेदन पत्र को ऑफलाइन जमा करने, 14 नवंबर, 2022 को अंतिम योग्यता सूची का प्रदर्शन, 14 और 15 नवंबर, 2022 को दावा और आपत्ति (यदि कोई हो) प्रस्तुत करनी होगी और 17 नवंबर, 2022 को अंतिम योग्यता सूची प्रदर्शित की जायेगी तथा काउंसिलिंग 19 नवंबर, 2022 को संबंधित विभागों में आयोजित की जाएगी।

## प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित

पोर्ट ब्लेयर, 6 नवंबर।

प्रधानमंत्री मत्स्य योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए मछुआरों, मत्स्य पालकों, मत्स्य श्रमिकों, मछली विक्रेताओं, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य संघ, उद्यमी, निजी फर्म, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांगजन से निर्धारित प्रोफार्मा

में 3 मीट्रिक टन और उससे अधिक की न्यूनतम क्षमता के साथ बर्फ संयंत्र और शीत भंडारण के निर्माण के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है।

01 मीट्रिक टन आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज के लिए स्वीकृत यूनिट लागत 4.00 लाख रुपये है। सामान्य श्रेणी के लिए सहायता का स्वीकृत पैटर्न 1.6 लाख रुपये की सीमा

के साथ 01 मीट्रिक टन इकाई लागत का 40 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए बर्फ संयंत्र और कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए 2.4 लाख रुपये की सीमा के साथ इकाई लागत का 60 प्रतिशत है।

मत्स्य निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इच्छुक आवेदक मत्स्य निदेशालय, शेष पृष्ठ 4 पर

## द्वीपों में कोविड की स्थिति

पोर्ट ब्लेयर, 6 नवम्बर।

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में आज कोविड का कोई पॉजिटिव मामला नहीं पाया गया। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार आज 2883 यात्रियों को लेकर 16 विमान पोर्ट ब्लेयर पहुंचे, जिनमें से 2585 यात्रियों ने वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं और बाकी 51 यात्रियों का आरटीपीसीआर परीक्षण किया गया तथा रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

## 'स्टार्टअप मेला' 9 और 10 नवंबर को

पोर्ट ब्लेयर, 6 नवंबर।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसंबर, 2018 को 'अंडमान और निकोबार स्टार्टअप और नवाचार नीति' के शुभारंभ के बाद से केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ने अपनी स्टार्टअप प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे उल्लेखनीय संख्या में वृद्धि हुई है। आईटी, ई-कॉमर्स, मत्स्य, कृषि, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और टूर एंड ट्रेवल्स सहित सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप शामिल हैं।

उद्योग निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति में बाजार में स्टार्टअप के प्रदर्शन के लिए और उन्हें वह एकसंपोर्ण प्रदान करने के लिए, जिसके वे हकदार हैं, अंडमान और निकोबार प्रशासन के उद्योग निदेशालय द्वारा 9 और 10 नवंबर, 2022 द्वीपसमूह के प्रमुख पर्यटक स्थल पोर्ट ब्लेयर के मिडिल प्वाइंट पर विभाग के एएनई सागरिका के पार्किंग स्थल में विशेष रूप से बनाए गए मंडप में 'स्टार्टअप मेला' आयोजित किया जाएगा। मेले में स्टार्टअप अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विपणन करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा।

## पक्षी पहचान और मूल पक्षीविज्ञान पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आज से

पोर्ट ब्लेयर, 6 नवंबर।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से पक्षी पहचान और मूल पक्षीविज्ञान पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया जायेगा। पर्यावरण एवं वन विभाग के फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए कल 7 नवंबर से 11 नवंबर, 2022 तक पांच दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन होगा।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. आर. एस.सी. जयराज (भा.व.से.) मुख्य अतिथि के रूप में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) डॉ. संधिल कुमार (भा.व.से.), वन संरक्षक (वन्यजीव) श्री संजय वारडकर (भा.व.से.) और उप वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीमती दीप शिखा (भा.व.से.) विशिष्ट अतिथि होंगे।

## प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगार युवाओं को विविध गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता

पोर्ट ब्लेयर, 6 नवंबर।

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय ने मौजूदा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना में कुछ संशोधनों से अवगत कराया है। पीएमईजीपी योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए स्वरोजगार उद्यम या परियोजनाओं या सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना है। निर्माण क्षेत्र के तहत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना या इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि इसे कुल परियोजना लागत की 35 सब्सिडी तक की सरकारी सब्सिडी के साथ सेवाओं और व्यापार क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है, जो विनिर्माण के तहत 10 लाख

रुपये से अधिक और सेवाओं और व्यापार क्षेत्र के तहत 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए है।

सेवा क्षेत्र के तहत अन्य मौजूदा गतिविधियों के साथ-साथ पीएमईजीपी योजना के तहत कुछ और गतिविधियों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, जलीय कृषि और मधुमक्खी सहित रेशम उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता भी प्राप्त की जा सकती है।

एक अतिरिक्त घटक अर्थात् पीएमईजीपी या आरईजीपी या मुद्रा के तहत स्थापित मौजूदा इकाई का विस्तार या उन्नयन किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा 15 प्रतिशत की एकसमान सब्सिडी के साथ बैंकों के माध्यम से विनिर्माण इकाइयों के लिए 1 करोड़ रुपये तक और सेवा और व्यापारिक इकाइयों के लिए 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पीएमईजीपी या आरईजीपी या मुद्रा के तहत पहले से स्थापित इकाइयों और टर्नओवर, लाभ कमाने और ऋण चुकौती के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली इकाइयां पात्र होंगी।

खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार अंडमान निकोबार द्वीपसमूह खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र, उद्योग परिसर परिसर, मिडिल प्वाइंट, पोर्ट ब्लेयर के कार्यालय में जा सकते हैं। इंटर आइलैंड के निवासी डिगलीपुर, बकुलतला, हटवे, कार निकोबार और कैम्बेल वे में उद्योग विभाग के निकटतम विस्तार कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।

## मत्स्य परिवहन वाहन और ट्राइसाइकिल की खरीद के लिए लाइसेंस प्राप्त मछुआरों तथा मत्स्य सहकारी समितियों से आवेदन आमंत्रित

पोर्ट ब्लेयर, 6 नवंबर।

शक्तियों के हस्तांतरण के तहत पोर्ट ब्लेयर में दक्षिण अंडमान जिला परिषद की यूटी प्लान के तहत मत्स्य परिवहन वाहन और ट्राइसाइकिल की खरीद के लिए दक्षिण अंडमान जिला परिषद के क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र के तहत लाइसेंस प्राप्त मछुआरों और मत्स्य सहकारी समितियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सहायता का पैटर्न इस प्रकार है :-

जनजातियों के लिए	सामान्य मछुआरों के लिए विशेष रूप से
प्रति मत्स्य परिवहन वाहन पर अधिकतम 2,00,000 रुपये पर 50 प्रतिशत सब्सिडी	प्रति मत्स्य परिवहन वाहन पर अधिकतम 3,00,000 रुपये पर 75 प्रतिशत की सब्सिडी

मछुआरे के पास चालू वित्तीय वर्ष सहित कम से कम पिछले दो लगातार वर्षों के लिए और चालू वित्तीय वर्ष सहित जनजातियों के लिए एक वर्ष के लिए मछली पकड़ने और डोंगी का लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंसधारी मछुआरे और सोसायटी को मत्स्य परिवहन वाहन के लिए पिछले 8 वर्षों में समान संपत्ति के लिए सहायता नहीं लेनी चाहिए थी। सोसायटी के मामले में सोसायटी को अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की सहकारी समिति के पंजीयक के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

सोसायटी को अपने उपनियमों के साथ पिछले 3 वर्षों के खातों का लेखा-जोखा विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। सोसायटी का उद्देश्य मत्स्य विकास गतिविधियों से संबंधित होना चाहिए।

गतिविधि के एक संक्षिप्त विवरण के साथ आवेदन अंडमान निकोबार मत्स्य सहकारी संघ के माध्यम से सोसायटी (समिति) द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसे वे सामान्य निकाय या सोसायटी की प्रबंध समिति के संकल्प की एक प्रति के साथ वस्तु खरीदकर लेने का इरादा रखते हैं। संपत्ति की खरीद के लिए मत्स्य परिवहन वाहन की खरीद के आपूर्तिकर्ता से प्रोफार्मा चालान दक्षिण अंडमान जिला परिषद को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्राप्त विज्ञप्ति में इच्छुक वास्तविक मछुआरों या जनजातियों या सहकारी समितियों से अनुरोध किया गया है कि वे कैम्बेल वे, हटवे के मत्स्य उप केंद्र, दक्षिण अंडमान की प्रोतरापुर और फरारगंज पंचायत समिति के संबंधित प्रभारी से निर्धारित आवेदन पत्र और कार्यक्रम के विस्तृत नियम और शर्तें एकत्र करें और भरे हुए आवेदन पत्र को 15 नवंबर, 2022 तक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या संबंधित मत्स्य उप केंद्र के कार्यालय में जमा करना है।

## राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगा नकद पुरस्कार खिलाड़ियों से विधिवत भरा हुआ प्रोफार्मा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 नवम्बर

पोर्ट ब्लेयर, 6 नवंबर।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मान्यता देने के लिए अंडमान निकोबार राज्य खेल परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग और राज्य स्तरीय खेल संघ को निर्धारित प्रोफार्मा में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 और अप्रैल 2021 से मार्च-2022 के दौरान आयोजित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक और स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिन्हें कार्यालय समय के दौरान अंडमान निकोबार प्रशासन के खेल और युवा मामले निदेशालय से एकत्र किया जा सकता है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार शेष पृष्ठ 4 पर



